न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 121/2024

प्रार्थीगण	**बनाम**	विप्रार्थीगण
1. राणाराम पुत्र रतनाराम 2. खेमाराम पुत्र रतनाराम 3. लुम्बाराम पुत्र रतनाराम 4. मीरों पत्नि रतनाराम 5. इमियोदेवी पत्नि नवलाराम 6. चेतन चौधरी पुत्र नवलाराम 7. पूनमाराम पुत्र जेहाराम 8. हड्डुमानराम पुत्र जेहाराम जातियान जाट निवासी जशनाथ नगर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. भोमाराम दत्तक पुत्र मुकनाराम 2. अणदाराम पुत्र दलाराम 3. अणछी पत्नि दलाराम 4. कवराराम पुत्र दलाराम 5. दीपाराम पुत्र दलाराम 6. कालूराम पुत्र शेराराम 7. मुकनाराम पुत्र शिवजीराम 8. बाबूराम पुत्र आसूराम 9. केसाराम पुत्र आसूराम 10. चिमनाराम पुत्र आसूराम 11. धरमाराम पुत्र आसूराम 12. प्रभूराम पुत्र हरचन्दराम 13. अखूदेवी पत्नि हरचन्दराम 14. रावताराम पुत्र सोनाराम 15. केहराराम पुत्र भूराराम 16. खेताराम पुत्र भैराराम 17. देदाराम पुत्र सोनाराम 18. देवाराम पुत्र भूराराम 19. धनाराम पुत्र सोनाराम 20. प्रभुराम पुत्र भूराराम 21. वरजू पत्नि भैराराम 22. हड्डुमानराम पुत्र सोनाराम 23. पारूदेवी पत्नि विशनाराम 24. रामूदेवी पुत्री चेनाराम 25. रामाराम पुत्र विशनाराम 26. रावताराम पुत्र विशनाराम 27. वनाराम पुत्र दलाराम 28. भोमाराम पुत्र भैराराम 29. अण[illegible] भूराराम जातियान जाट [illegible] नगर तहसील [illegible]धरी जिला बालोतरा 30. सरपंच, [illegible] पंचायत बिलासर, पंचायत समिति सिणधरी, बालोतरा 31. तहसीलदार सिणधरी जिला बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:17:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति

1. श्री रामजीवन विश्नोई अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 25.09.2024

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई ग्राम जशनाथ नगर के खेत खसरा संख्या 10, 15, 25 रकबा क्रमश 9.3035 हैक्टेयर, 2.8153 हैक्टेयर, 2.0468 हैक्टेयर कुल रकबा 14.1656 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 558/22 रकबा 1.7798 हैक्टयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई ग्राम जशनाथ नगर के खेत खसरा संख्या 10, 15, 25 रकबा क्रमश 9.3035 हैक्टेयर, 2.8153 हैक्टेयर, 2.0468 हैक्टेयर कुल रकबा 14.1656 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 558/22 रकबा 1.7798 हैक्टयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण का तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई के ग्राम जशनाथ नगर में खेत खसरा संख्या 10, 15, 25 रकबा क्रमश 9.3035 हैक्टेयर, 2.8153 हैक्टेयर, 2.0468 हैक्टेयर कुल रकबा 14.1656 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 558/22 रकबा 1.7798 हैक्टयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:17:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

सील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई ग्राम जशनाथ नगर के खेत खसरा संख्या 10, 15, 25 रकबा क्रमश 9.3035 हैक्टेयर, 2.8153 हैक्टेयर, 2.0468 हैक्टेयर कुल रकबा 14.1656 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 558/22 रकबा 1.7798 हैक्टयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई ग्राम जशनाथ नगर के खेत खसरा संख्या 10, 15, 25 रकबा क्रमश 9.3035 हैक्टेयर, 2.8153 हैक्टेयर, 2.0468 हैक्टेयर कुल रकबा 14.1656 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 558/22 रकबा 1.7798 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डड सहखातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई ग्राम जशनाथ नगर के खेत खसरा संख्या 10, 15, 25 रकबा क्रमश 9.3035 हैक्टेयर, 2.8153 हैक्टेयर, 2.0468 हैक्टेयर कुल रकबा 14.1656 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 558/22 रकबा 1.7798 हैक्टयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:17:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 25.09.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी